न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 82/2017

1. लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम पुत्र बेगदास जाति बैरागी निवासी सूरतगढ़ (मृतक) जरिये वारिस
   1/1 बृजलाल पुत्र लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम जाति बैरागी निवासी वार्ड न. 14 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री एन0डी0सेतिया एवं श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं 01

निर्णय दिनांकः 19.08.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये वकील अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे के पिता के नाम लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम पुत्र बेगदास जाति बैरागी को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 463/2 का 25.00 बीघा रकबा दिनांक 08.08.1975 को आराजी काश्त पर टी.सी. आवंटन किया गया था व उसी समय मौका पर कब्जा दे दिया गया था तब से लेकर आज तक मौका पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त टीसी 2011 तक नवीनीकरण हुई है व कब्जा आज भी अपीलांट का है। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलांट के पिता को सुने व सूचना दिये उनके टी.सी. पर आवंटन रकबा खारिज किये बिना ही उक्त रकबा का नगरपालिका के नाम इंतकाल दर्ज कर तस्दीक कर दिया। टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। टीसी आवंटन की शर्त संख्या 19 में सिर्फ जिला कलक्टर ही टी.सी. आवंटन निरस्त कर सकता है। अपीलांट के पिता का आवंटन कभी निरस्त नहीं हुआ है तथा न ही टीसी आज तक निरस्त हुई है। अतः नियम विरूद्व तस्दीक किया गया इंतकाल खारिज किया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई हाजिर आये व रेस्पोडेंट संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व0 लिच्छीराम उर्फ़ लधुराम पुत्र बेगदास जाति बैरागी निवासी सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा नम्बर 463/2 का 25.00 बीघा रकबा तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार साहब सूरतगढ द्वारा दिनांक 08/08/1975 को आरजी काश्त पर आवंटन कर मौका पर आंवटित भूमि का कब्जा दे दिया गया था व तब से आज दिनांक तक लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम के जीवनकाल तक उनका व उनके स्वर्गवास के बाद बतौर पुत्र अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्ष 1980, 1981, 1983, 1990 व 2011 तक नवीनीकरण होता है व 40 वर्षो से मौका पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प 9 (77) राज– 6/2008/15 दिनांक 31/05/2008 में रकबा उपनिवेशन विभाग से निकालकर राजस्व विभाग में कर देने से रकबा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान के अनुसार अपीलाण्ट इस रकबा का बतौर गैर खातेदार काश्तकार की श्रेणी में आ गया था। आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के मुताबिक अपीलाण्ट उक्त भूमि की खातेदारी जारी करवाने का अधिकारी था व मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को स्वतः ही खातेदारी जारी करनी चाहिये थी ऐसी सूरत में रकबा

19/8/20
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंटस संख्या 2 को जरिये इंतकाल हस्तान्तरित करना अपीलाण्ट के हितो तक शुरू से ही शुन्य व गैर कानूनी है। अपीलाण्ट के नाम से हुआ आवंटन किसी भी सक्षम न्यायालय या अधिकारी द्वारा निरस्त नही किया गया। बिना आवंटन निरस्त किये रेस्पोडेंट नम्बर 2 को रकबा का इंतकाल करना गैर कानूनी है। राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/4/24/उप/99/जयपुर दिनांक 15/09/2001 एंवम् श्रीमान् जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ/41/5/8/राजस्व/2001/6513 दिनांक 22/10/2001 प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान उपननिवेशन अधिनियम (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 की शर्त 4 एफ में काश्तकार (टीनेन्ट) की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को भी सम्मलित किया गया है, चूंकि अपीलांट आवंटी का जायज वारिस है, उक्त रकबा का आवंटन अपीलांट को किया जाना था। जैर अपील रकबा गैरखातेदारी नाम से होकर कब्जा काश्त में होने की वजह से अपीलाण्ट को अन्य रकबा भी आवंटन नही होने से जैर अपील रकबा ही अपीलाण्ट के परिवार के भरण–पोषण का एक मात्र जरिया है। अपीलाण्ट ने वर्षों पुर्व अपने खेत में ढाणी बनाई हुई है व सीमेंट के पिल्लर लगाकर चारो तरफ से तारबंदी की हुई है व आज भी भूमि का कब्जा काश्त अपीलाण्ट का है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 को महज कागजों में ही कब्जा देना दिखाया गया है। मौका पर कभी भी कब्जा नही दिया गया है। नगरपालिका अगर पेड़–पौधे लगाना चाहती है तो शहर के चारो तरफ 50 मुरब्बा भूमि शुद्व राज पड़ी है उनके पेड़–पौधें लगाकर हरियाली कर सकती है। तो फिर अपीलांट की ही भूमि पर पौधारोपण क्यों किया गया जबकि अपीलाण्ट को तो भूमि 42 वर्ष पूर्व से आवंटन शुदा है। अपीलाण्ट की भूमि गैर खातेदारी की श्रेणी में आती है इसलिये अगर भूमि ली भी जाती तो भूमि आवाप्ति की कार्यवाही की जाति इससे अपीलाण्ट को भूमि के बदले में अन्य भूमि दी जाती। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 पेश कर निवेदन है कि उक्त परिपत्र में भी अंकित किया गया है कि गैरखातेदार अस्थाई आवंटन को भी खातेदारी दी जावे। अपीलाण्ट के समान ही आरजी काश्त के लोगो को तहसीलदार साहब सूरतगढ ने वर्ष 2015–2016 में खातेदारी अधिकारी दिये है। अपीलाण्ट भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अन्तर्गत टी0सी0 लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त नही है बल्कि शर्त संख्या 19 के अनुसार ही टी0 सी0 लीज निरस्त करने की शक्तियां जिला कलैक्टर महोदय को प्रदत की गई है इसलिये मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश गैर कानूनी है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 पेज 262 पेश कर निवेदन है कि पेड़ लगाने का जो आदेश दिया गया था वह साधारण आदेश था उसके लिये शुद्व रकबा राज भूमि पर ही पेड़ लगाने का आदेश था। उस आदेश में अपीलाण्ट की भूमि में ही पेड़ पौधे लगाने का आदेश नही था। न्यायिक दृष्टांत RRT 2011 (1) पेज 262 नथूराम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व RRT 2009 (2) पेज 757 पर कर निवेदन है कि उक्त प्रकरणो में भी राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने यह माना है कि बिना सुनवाई के ही परिपत्र के आधार पर तस्दीक किया गया इंतकाल निरस्त किये जाने लायक है।

3. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि भूमि उनके नाम पर नहीं लिच्छीराम के नाम पर है। इनके द्वारा वारिस होनें का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 03.11.2011 को जैर अपील इंतकाल दर्ज किया गया है जबकि प्रस्तुत अपील 6 वर्ष बाद पेश की गई है, अतः अपील मियाद बाहर है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ. 6 (9) राजस्व–6/96 पीटी/39 जयपुर दिनांक 08.12.2010 की पालना में रकबा राज भूमि को ही नियमानुसार राशि जमा कर नगरपालिका को उक्त रकबा हस्तांरित किया गया है। खसरा न. 463/2 में कुल 59.885 है0 भूमि है जो कि संपूर्ण नगरपालिका को हस्तांतरित कर दी गई है व कब्जा भी नगरपालिका को सौंप दिया गया है। जैरअपील भूमि मुख्मंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजीएसए) के तहत वृक्ष कुंज (वृक्षारोपन) हेतु चयनित कर ली गई एवं वन विभाग द्वारा पौधारोपण भी कर दिया गया है। जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर बजट आवंटित किया गया था। मौका पर कभी अपीलांट का कब्जा नहीं रहा । जैर अपील नामांतरण के विरूद्व इस न्यायालय यह अपील दिनांक 07.06.2017 को पेश की गई व उसी दिन मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था परन्तु दिनांक 16.06.2017 को उक्त स्थगन आदेश भी अपास्त कर दिया । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

19/8/22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

4. अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब बहस में निवेदन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता को आवंटन हुआ था। अपीलांट के पिता का देहान्त होनें के उपरान्त अपीलांट उसका जायज वारिस है, जिस कारण प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। न्यायिक दृष्टांत RRD 2005 पेज 627, RBJ 2001 पेज नम्बर 133, RRT 2008 पेज नम्बर 1183, RLW 2003 पेज नम्बर 242 पेश कर निवेदन है उक्त न्यायिक दृष्टातों में यह माना है कि बिना नोटिस के बिना सुनवाई के किये गये निर्णय के विरूद्व अपील की जाती है तो देरी को क्षमा कर अपील मियाद के अन्दर मानकर स्वीकार की जा सकती है। अतः चूंकि प्रकरण में भी अपीलांट को किसी तरह का कोई नोटिस नही दिया गया व न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया बस आनन फानन में ही इंतकाल तस्दीक किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा देरी धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

5. प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है। अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.11.2011 के विरूद्ध दिनांक 07.06.2017 को लगभग 5 वर्ष सात माह देरी से प्रस्तुत की गई है तथा अपील के संलग्न मियाद अधि0की दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। मियाद अधि0की धारा 5 के प्रा0पत्र बाबत रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतियुत्तर पेश नहीं किया गया है तथा ना ही प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि जैर प्रकरण भूमि जमाबन्दी में आराजी राज अंकित होने तथा शहरी क्षेत्र में होने के कारण आराजी राज भूमि नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जरिये इंतकाल सं. 460 दिनांक 03.11.2011 से दर्ज की गई है। भूमि जमाबन्दी में नगरपालिका के नाम दर्ज होने के बाद इसी भूमि पर नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा पौधारोपण करवाया गया है जिसे वकील रेस्पो0–1 ने अपनी बहस में बताया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होनें के कारण प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। प्रश्नगत भूमि नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/2

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner